आवश्यक/समयवद्व/ई-मेल

प्रेषक,

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
बलिया

सेवा में,

1. कुल सचिव,
   जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
2. जिला विद्यालय निरीक्षक,
   बलिया।
3. प्राचार्य, राजकीय आई0टी0आई0, बलिया।
4. प्राचार्य, महिला टाऊन पालिटेक्निक, बलिया।
5. निदेशक/प्राचार्य/प्रधानाचार्य, बी0फार्मा/डीफार्मा/ए0एन0एम0/जी0एन0एम0/फार्मेसी, बलिया।

पत्रांक- 66 / पि0व0क0/छात्रवृत्ति/2021-22 दिनांक 27 अगस्त, 2021

विषय- ***दशमोत्तर छात्रवृत्ति एंव शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिन पाठ्यकमों में छात्रों को बगैर अंको के प्रोन्नत किया गया है, के सम्बन्ध में शिक्षण संस्थान/पाठ्यकम/पाठ्यकम के वर्षवार विवरण उपलब्ध कराये जाने सम्बन्ध में।***

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-886 दिनांक 13 अगस्त, 2021 संलग्न छायाप्रति का अवलोकन करना चाहें, जिसके द्वारा अपर मुख्य सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2, लखनऊ द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश दिये गये है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रर्तिपूर्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश व जनपद में स्थित विश्वविद्यालयों एंव सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों में संचालित विभिन्न पाठ्यकमों में से जिन पाठ्यकमों में छात्रों को बगैर अंको के प्रोन्नत किया गया है, कि सूचना शिक्षण संस्थान/पाठ्यकम व पाठ्यकम के वर्षवार विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि **वर्ष 2021-22 में संचालित विश्वविद्यालयों एंव सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यकमों में से जिन पाठ्यकमों में छात्रों को बगैर अंको के प्रोन्नत किया गया है, का शिक्षण संस्थान/पाठ्यकम व पाठ्यकम के वर्षवार विवरण तीन दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।** ताकि निदेशालय को प्रेषित करते हुये शासन को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(राजीव कुमार यादव)
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
बलिया

पत्रांक व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः-निम्नांकित को सादर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2, लखनऊ।
2. निदेशक महोदया, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. जिलाधिकारी महोदय, बलिया।
4. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बलिया।
5. उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, आजमगढ़ मण्डल-आजमगढ़।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
बलिया

अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध

निदेशालय, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ0प्र0
10 वां तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।

पत्र संख्या– 886 /पि0व0क0/2021–22, लखनऊ : दिनांक 13 अगस्त, 2021

समस्त जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय–दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में जिन पाठ्यक्रमों में छात्रों को बगैर अंको के प्रोन्नत किया गया है, के सम्बन्ध में शिक्षण संस्थान/पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रम के वर्षवार विवरण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में जैसा कि आप अवगत है कि दिनांक 09 अगस्त, 2021 को मा0 मंत्री जी, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में सम्पन्न विभागीय समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा आपको स्पष्ट रूप से निर्देश दिये गये थे, कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालयों एवं सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में से जिन पाठ्यक्रमों में छात्रों को बगैर अंको के प्रोन्नत किया गया है, की सूचना शिक्षण संस्थान/पाठ्यक्रम व पाठ्यक्रम के वर्षवार उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे।

तत्क्रम क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके जनपद में संचालित विश्वविद्यालयों एवं सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों में छात्रवृत्ति के कार्य हेतु नामित नोडल अधिकारी के साथ तत्काल समन्वय स्थापित करते हुए वित्तीय वर्ष 2021–22 में विश्वविद्यालयों एवं सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में से जिन पाठ्यक्रमों में छात्रों को बगैर अंकों के प्रोन्नत किया गया है, का शिक्षण संस्थान/पाठ्यक्रम व पाठ्यक्रम के वर्षवार विवरण एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि शासन को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके।

13.8.2021
(डा0 वन्दना वर्मा)
निदेशक।

पृ0सं0/ 886 /पि0व0क0/2021–22/तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– अपर प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग–2
2– निदेशक, समाज कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0।
3– समस्त उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि वह अपने मण्डल से सम्बन्धित जनपदों को उपरोक्तानुसार सूचना निर्धारित समयान्तर्गत उपलब्ध कराये जाने हेतु अपने स्तर से भी निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
4– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्तानुसार सूचना अपने जनपद के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराये जाने हेतु आपके नियंत्रणाधीन सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों को तत्काल निर्देशित करने का कष्ट करें।

13.8.2021
(डा0 वन्दना वर्मा)
निदेशक।